

प्रेषक,

उदय राज सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 24 मार्च, 2021

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में सौंग बांध परियोजना मद के अन्तर्गत निर्माणाधीन योजनाओं हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2443/प्र0अ0/बजट/बी-1 (सामान्य)/कैम्प, दिनांक 29.01.2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सैक्टर में पूंजीलेखा मद से सौंग नदी पर बांध निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण एवं पुनर्वास कार्यो यथा भूमिक्रय/अधिग्रहण/मुआवजे हेतु पूर्व अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति के दृष्टिगत योजनाओं के अवशेष कार्यो हेतु ₹ 1440.00 लाख (रु0 चौदह करोड़ चालीस लाख मात्र) की धनराशि, योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी शासनादेश संख्या-1164/11(02)-2018-04(11)/2010, टी0सी0-।, दिनांक 18.06.2018, शासनादेश संख्या-1097/11-02-2019-04(11)/2010, टी0सी0-।, दिनांक 01.10.2019 एवं शासनादेश संख्या-1276/11-02-2020-04(11)/2010, दिनांक 25.08.2020 द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्तानुसार अवमुक्त की गयी धनराशि के व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जायेगा।

3- योजनाओं पर एकमुश्त धनराशि अवमुक्त की जा रही है। धनराशि को योजनावार फांट कर आवश्यकतानुसार आवंटित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-20 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-13-सौंग बांध निर्माण-001-निदेशन एवं प्रशासन-02-अन्य रखरखाव-01-सौंग नदी पर बांध निर्माण हेतु अवस्थापना कार्यो का निर्माण-54-भूमि क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

क्रमशः.....2

5- वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-292/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 31.3.2020, शासनादेश संख्या-370/09(150)-2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 29 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या-495/09(150)2019/XXVII(1)/2020, दिनांक 29.6.2020 एवं समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये और वांछित सूचनायें निर्धारित प्रपत्रों पर यथासमय शासन को उपलब्ध करा दी जाये।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-265/XXVII(2)/2021, दिनांक 24 मार्च, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से की जा रही है।

संलग्नक- Allotment ID

भवदीय,

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव

संख्या- 237 (1)/II(02)/2020-04(11)/2010 टी0सी0- I, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
- 3- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।